

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)
लखनऊ, बृहस्पतिवार 31 जुलाई, 1997
श्रावण 9, 1919 शक सम्बत

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1
संख्या-1087/सत्रह-वि-1-1(क)12/1997
लखनऊ, 31 जुलाई, 1997
अधिसूचना
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए (आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1997 पर दिनांक 30 जुलाई, 1997 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1997 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन)

अधिनियम, 1997
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1997)
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 का संशोधन करने के लिए।

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) और प्रारम्भ अधिनियम 1997 में कहा जायेगा।

संक्षिप्त
और प्रारम्भ

(2) यह 9 जुलाई, 1997 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1993 की धारा 2 का संशोधन

उत्तर प्रदेश
अधिनियम
संख्या 4 सन्
1993 की धारा 2
का संशोधन

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में-

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्-

(क) "दृष्टिहीनता" ऐसी परिस्थिति को निर्दिष्ट करता है जहाँ कोई व्यक्ति निम्नलिखित दशाओं में से, किसी से ग्रसित हो अर्थात् :-

(एक) दृष्टिगोचरता का पूर्ण अभाव या

(दो) सुधारक लेंसों के साथ बेहतर आंख में 6/60 या 20/200 (सेनालिन) से अनधिक दृष्टि की तीक्ष्णता या

(तीन) जिसकी दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री के कोण के कक्षान्तरित होना या अधिक खराब होना।

(क) "प्रमस्तिष्क अंगघात" का तात्पर्य विकास की प्रसव पूर्व प्रसवकालीन या शैशव काल में होने वाले मस्तिष्क के तिरस्कार या क्षति से पारिणामिक त्रसामान्य प्रेरक नियंत्रण स्थिति के लक्षणों से युक्त व्यक्ति की अविकासशील दशाओं के समूह से है।"

(ख) खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-

(घघ) "श्रवण हास" का तात्पर्य संवाद सम्बंधी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में साठ डेसीबल या अधिक की हानि से है,

(घघघ) "चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता" का तात्पर्य हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की ऐसी निःशक्तता से है जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निर्बन्धना या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क अंगघात हो,

(घघघघ) "कम दृष्टि" ऐसी परिस्थिति को निर्दिष्ट करती है जहाँ ऐसा कोई व्यक्ति उपचार या मानक उपवर्धनीय सुधार के पश्चात् भी दृष्टि सम्बंधी कृत्य से हास से ग्रसित हो किन्तु वह समुचित सहायक युक्ति से किसी काग़ की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता हो या उपयोग करने में सम्भाव्य रूप से समर्थ हो,

(ग) खण्ड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा दिया जायेगा, अर्थात :-

(ड) 'शारीरिक रूप से विकलांग' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित से ग्रसित हो :-

(एक) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि;

(दो) श्रवण हास;

(तीन) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात।

(घ) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा अर्थात :-

(च) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उस समय अधिनियम में समनुदेशित किये गये हैं।

धारा 3 का संशोधन 3- मूल अधिनियम की धारा 3 में :-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात-

(1) सीधी भर्ती के प्रपत्र पर निम्नलिखित आरक्षण होगा :-

(एक) लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का एक प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक के लिए।

(दो) ऐसी लोक सेवाओं और पदों में जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, अभिजात करें, रिक्तियों का एक प्रतिशत प्रत्येक निम्नलिखित से ग्रसित व्यक्ति के लिए :-

(क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि

(ख) श्रवण हास

(ग) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात।

(ख) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी।

(ग) उपधारा (3) में शब्द "पिछड़े वर्ग" के स्थान पर शब्द "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का रख लिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (4) निकाल दी जायेगी।

(ड) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात;

(5) जहाँ उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्त उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती है, तो उसे आगामी भर्ती के लिए अग्रणीत किया जायेगा।

(4) मूल अधिनियम की धारा 1 में उपधारा (2) निकाल दी जायेगी।

धारा 4 का

(5) मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी

संशोधन

अपवाद 5-(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 1997 द्वारा यथा संशोधित इस

अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जिनमें उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व धारा 5 का चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के अनुसार, प्रतिस्थापन जैसे वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण-इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए वहाँ चयन प्रक्रिया आरम्भ की गयी समझी जायेगी, जहाँ सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन की जाने वाली भर्ती-

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर की जानी हो और वहाँ यथास्थिति लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो गया हो; या

(दो) लिखित परीक्षा या साक्षात्कार, दोनों के आधार पर की जानी हो और वहाँ लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो गयी हों।

(2) इस अधिनियम के उपबन्ध उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

6-(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1997 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा निरसन और अपवाद
अध्यादेश संख्या यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी
8 सन् 1997 जायेगी मानों इस अधिनियम, के प्राविधान सभी सरवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से

रविन्द्र दयाल माथुर

प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विकलांग कल्याण विभाग।
2. विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत अनुदान ग्रहीता स्वैच्छिक संस्थाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(एस0के0 श्रीवास्तव)

उपनिदेशक।